

माननीय जी. सी. मित्तल और जी. एस. चिहल, जे.

एम./एस. बलवंत राय कौशल

-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

-उत्तरदाता

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 5190 ऑफ़ 1989

3 दिसंबर, 1990

*हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973- धारा 26, नियम 39-4-एकमुश्त कर के भुगतान का प्रावधान-उक्त प्रावधान का दायरा-नियम निर्धारित करने वाली दर जिसमें एकमुश्त कर का भुगतान किया जाना है-नियम की वैधता।*

अभिनिर्णित किया गया है कि अधिनियम की धारा 26, यह निर्धारिती के लाभ के लिए एक सक्षम 'प्रावधान' है और वे एकमुश्त कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं हैं। अधिनियम की धारा 26 के साथ धारा 64 के तहत नियम बनाए गए हैं। यह उन विक्रेताओं के खंड के लिए खुला होगा जिनके लिए रिटर्न के आधार पर बिक्री कर के भुगतान के बजाय संयोजन के माध्यम से एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुनने के लिए नियम बनाए जाएंगे। निर्धारिती के लिए वापसी के बजाय एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुनने का विकल्प खुला होगा, और यदि वह संयोजन के माध्यम से एकमुश्त भुगतान का विकल्प नहीं चुनता है, तो वह उस नियम द्वारा शासित नहीं होगा और वापसी के आधार पर कर लगाने के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा। (पैरा 6)

*इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियम 39-ए अधिनियम की धारा 26 के दायरे से परे है। अधिनियम की धारा 6 वह प्रभार अनुभाग है जिसके तहत बिक्री कर का भुगतान कारोबार के आधार पर किया जाता है यदि यह कर योग्य मात्रा से अधिक है। अधिनियम की धारा 26 के तहत राज्य सरकार को निर्धारिती के विकल्प पर संयोजन के माध्यम से एकमुश्त भुगतान का प्रावधान करने की शक्ति सौंपी गई है। धारा 46 में निहित नियम बनाने की शक्ति के साथ अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार ईट भट्टे के मालिकों के कारोबार पर एकमुश्त कर के संग्रह के लिए नियम 39-ए बनाया गया है। एक बार जब अधिनियम में धारा 6-एक प्रभार अनुभाग होता है, तो*

निर्धारिती को विकल्प देने के अलावा उसी कारोबार पर अलग कर लगाने के लिए कोई अन्य खंड नहीं हो सकती है। यही कारण है कि धारा 26 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि एकमुश्त कर का भुगतान करना निर्धारिती का विकल्प होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है बजाय की पूरे कारोबार पर धारा 6 के अंतर्गत भुगतान करना। इसलिए, यह स्पष्ट है कि नियम 39 ए क्योंकि यह एक ईट भट्टे के व्यापारी पर नाब लमन राशि का दायित्व लगाता है। कर स्पष्ट रूप से धारा 6 के साथ-साथ अधिनियम की धारा ए के दायरे से बाहर है।

याचिकाकर्ताओं के लिए *राजेश बिंदल*।

एस. सी. मोहंता, ए. जी. हरियाणा, एस. के. सूद, डी. ए. हरियाणा, *ने प्रतिवादीओं को लिखा।*

### निर्णय

*गोकल चंद मित्तल जे. '*

(1) मेसर्स बलवंत राय कौशल जनवरी, 1986 से हरियाणा राज्य में ईंटों के निर्माण का व्यवसाय कर रहे थे जिसे हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाता है) के तहत पंजीकृत किया गया था। यह दलील दी जाती है कि उसने 19 जून, 1987 से ईट भट्टे को बंद कर दिया क्योंकि क्षेत्र की मिट्टी ईट बनाने के लिए उपयुक्त नहीं थी, और पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए आवेदन किया।

(2) डीलर को कर निर्धारण प्राधिकारी से दिनांक 30 सितंबर 1988 अनुलग्नक पी 2 का आदेश प्राप्त हुआ जिसमें बिक्रीकर 30 सितंबर 1988 तक का भुगतान नया की गई राशि पर ब्याज और जुर्माना लगाया गया। कर निर्धारिती द्वारा दाखिल रिटर्न के आधार पर नहीं बल्कि 19 अक्टूबर 1988 की अधिसूचना के आधार पर लगाया गया था जिसकी प्रतिलिपि अनुलग्नक P1 है जिसके द्वारा हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम 1975 अधिनियम के तहत तैयार किया गया है (संक्षेप में 'नियम') में संशोधन किया गया और अध्याय 5- ए डाला गया जिसके तहत नियम 39- ए (1) अधिनियम की धारा 26 के संदर्भ में बिक्री करके बदले में एक मुश्त राशि के भुगतान का प्रावधान करता है।

(3) निर्धारिती अधिनियम की धारा 26 के साथ-साथ नियमों के नियम 39-ए की वैधता को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय में आया था और इस आधार पर मूल्यांकन आदेश संलग्नक P2 की वैधता को चुनौती दी थी। इसी तरह के अन्य मामले भी अन्य निर्धारिती द्वारा दायर किए गए थे और उन्हें इस रिट याचिका के साथ सुनवाई का आदेश दिया गया था। उन मामलों के तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम मूल रूप से प्रावधानों के दायरे से चिंतित हैं और उन मामलों का निपटारा भी मामले के साथ ही किया जाएगा।

(4) यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 26 (1) दिशानिर्देश नहीं देती है और न ही बिक्री कर के बदले में एकमुश्त राशि वसूलने की सीमा देती है, और इसलिए, यह अस्पष्ट और मनमाना है, और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। तर्क की सराहना करने के लिए खंड 26 (1) से (3) के प्रावधान को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:—

*"26(1) बिक्री कर के बदले में एकमुश्त भुगतान।*

राज्य सरकार जनहित में और ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह उचित समझे, किसी भी डीलरों के वर्ग से, इस अधिनियम के तहत देय कर के बदले में, किसी भी अवधि के लिए, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली एकमुश्त राशि को स्वीकार कर सकती है और उस अवधि के दौरान भुगतान करने के लिए जो निर्धारित किया जाए, उसके बाद ऐसी संरचना लागू रहती है, इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान, जो रिटर्न दाखिल करने और ऐसे विक्रेताओं द्वारा खातों के रखरखाव से संबंधित हैं, उन पर लागू नहीं होंगे।

(2) इस अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठेकेदार, इस अधिनियम के तहत देय कर के बदले, अपने विकल्प पर, निर्धारित तरीके से प्रयोग करने योग्य, कुल मूल्य पर भुगतान कर सकता है। उसके द्वारा निष्पादित किया जा रहा कोई कार्य अनुबंध, ऐसे अंतराल पर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसी राशि जिसकी गणना ऐसी दर से की जाए जो प्रति दस प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार, कार्य अनुबंध की प्रकृति और

**वर्ग को ध्यान में रखते हुए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, अधिसूचनाओं द्वारा निर्दिष्ट करे:**

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत विकल्प का प्रयोग करने वाला ठेकेदार किसी भी वस्तु की खरीद करने की हकदार नहीं होगा। कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग के लिए अपने पंजीकरण **प्रमाण पत्र के** अधिकार पर कर का भुगतान किए बिना माल और न ही वह किसी भी पूर्ववर्ती चरण में भुगतान किए गए कर के पुनर्भुगतान का समायोजन या दावा करने या ऐसी वस्तुओं की खरीद के कारोबार में कटौती करने का हकदार होगा:

बशर्ते कि एक बार प्रयोग किया गया विकल्प उस वर्ष के अंत से तीन साल की समाप्ति तक रद्द नहीं किया जाएगा जिसमें ऐसा विकल्प प्रयोग किया जाता है और न ही निष्पादन के तहत कार्य अनुबंध को ऐसे आरक्षण पर विभाजित किया जाएगा।

(3) उपखंड (2) के तहत विकल्प का प्रयोग करने वाले ठेकेदार को, जब तक विकल्प लागू रहता है, इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपने व्यवसाय के खातों को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय निष्पादित या निष्पादित कार्य अनुबंध के संबंध में प्राप्त या प्राप्य भुगतान के रिकॉर्ड के।"

(5) **अधिनियम की धारा 26** की उप-खंडों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राज्य सरकार उन शर्तों के लिए निर्धारित कर सकती है, जिन्हें एकमुश्त राशि स्वीकार करने के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। अधिनियम के तहत देय बिक्री कर, किसी भी अवधि के लिए, डीलरो के किसी भी वर्ग के विक्रेताओं से इस तरह के अंतराल पर और इस तरह से भुगतान किया जाना है। यह स्पष्ट रूप से अधिनियम की खंड 64 के तहत नियम बनाने वाले प्राधिकरण को नियम बनाने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश देता है।

(6) जैसा कि हम अधिनियम की धारा 26 को पढ़ते हैं, यह निर्धारिती के लाभ के लिए सक्षम प्रावधान है और वे एकमुश्त कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं हैं। अधिनियम की धारा 26 के साथ धारा 64 के तहत नियम बनाए गए हैं। यह उन विक्रेताओं के खंड के लिए खुला होगा जिनके लिए रिटर्न के आधार पर बिक्री कर के भुगतान के बजाय संयोजन के माध्यम से एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुनने के लिए नियम बनाए जाएंगे। धारा 26 (1) में "विक्रेताओं के किसी भी खंड से स्वीकार करें" शब्द, धारा 26 (2) में "अपने विकल्प पर..... एक ठेकेदार" शब्द, परंतुक में "अनुबंध का उपयोग करने का विकल्प" शब्द और धारा 26 (2) के ॥ परंतुक में "एक बार उपयोग किए गए विकल्प को रद्द नहीं किया जाएगा" शब्द और "विकल्प का उपयोग करने वाला ठेकेदार जब तक विकल्प लागू रहता है" शब्द स्पष्ट रूप से यह

M/s Balwant Rai Kaushal v. State of Haryana and another 367  
(G. C. Mital, J.)

इंगित करते हैं कि जब भी नियम बनाए जाते हैं, तो निर्धारिती के लिए वापसी के बजाय एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुनना खुला होगा, और यदि वह संयोजन के माध्यम से एकमुश्त भुगतान का विकल्प नहीं चुनता है, तो वह उस नियम द्वारा शासित नहीं होगा और अधिनियम की धारा 6 द्वारा शासित होगा। इसलिए यदि कोई व्यापारी रियायत प्रतिग्रहण करना के लिए तैयार है, तो वह ऐसा कर सकता है और यदि वह प्रतिग्रहण नहीं करना चाहता है, तो उसे रिटर्न के आधार पर बिक्री कर का भुगतान करने के बजाय एकमुश्त भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए, मामले को किसी भी दृष्टिकोण से देखते हुए, हम यह नहीं पाते हैं कि अधिनियम की धारा 26 के प्रावधान मनमाने हैं या बिक्री कर के बदले एकमुश्त भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई दिशानिर्देश प्रदान नहीं करते हैं।

(7) अगली चुनौती नियमों के नियम 39-ए के अधिकारों के लिए है, इस आधार पर कि यह अधिनियम की धारा 26 के दायरे से परे है। इस पर प्रकाश डालते हुए यह तर्क दिया जाता है कि नियम 39-ए को पढ़ने से पता चलता है कि प्रत्येक ईट-भट्टे का मालिक इस नियम के आधार पर एकमुश्त कर का भुगतान करने के लिए बाध्य है और उसके पास वास्तविक कारोबार के आधार पर भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं बचा है। तर्क की सराहना करने के लिए, हमें नियमों के नियम 39-ए के साथ अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों पर फिर से विचार करना होगा। अधिनियम की धारा 26 पहले ही ऊपर पुनः प्रस्तुत की जा चुकी है और नियमों का नियम 39-ए निम्नानुसार है:

"39 ए. बिक्री कर के बदले में एकमुश्त भुगतान। [धारा (26)]-प्रत्येक ईट-भट्टे का मालिक 1 अप्रैल, 1988 से 31 मार्च 1990 तक की अवधि के लिए राज्य के भीतर ईटों की बिक्री पर बिक्री-कर के बदले नियम 29 के उप-नियम (4) में निर्दिष्ट तरीके से एकमुश्त भुगतान करना होगा।

उनके ईट-भट्टे की क्षमता के अनुसार दर निम्नानुसार है:—

ईट-भट्टे की क्षमता		श्रेणी	वार्षिक दर	एकमुश्त
		राशि।	बिक्री कर के	बदले में देय
1.	ईट-भट्टे की क्षमता 28 घोरी या उससे अधिक कच्ची ईटें	ए.	रु.	54,000
2.	22 से 27 घोरी कच्ची ईटों की क्षमता वाला ईट-भट्टा	बी.	रु.,	45,000
3.	ईट-भट्टा, जिसकी क्षमता 22 घोरी से कम है, कच्ची ईटें	सी.	रु.	36,000
4.	ईट-भट्टा उस वर्ष के दौरान नहीं चलाया जाता है जिसमें 1 अप्रैल को भट्टे के अंदर और बाहर सभी श्रेणियों की ईटों का स्टॉक पांच लाख से अधिक होता है।	डी.	रु.	-
				10,000
	व्याख्या: 1. XXXX	XX	XX	XX
	2. XXXX	XX	XX	xx

(8) हम पहले ही अधिनियम की धारा 26 पर विचार कर चुके हैं। इससे निर्धारिती को एकमुश्त कर का भुगतान करने का विकल्प मिलता है। राज्य सरकार के पास प्रत्यायोजित कानून के माध्यम से बिक्री के वास्तविक भुगतान के आधार पर अधिनियम के तहत देय कर के बदले एकमुश्त कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है। हालांकि, यह एक व्यापारी द्वारा उपयोग किए जा रहे विकल्प के अधीन एकमुश्त भुगतान के लिए नियम बना सकती है। लेकिन नियमों के नियम 39-ए को पढ़ने से पता चलता है कि प्रत्येक ईट-भट्टे के मालिक को 1 अप्रैल 1988 से 31 मार्च, 1990 तक की अवधि के लिए ईट-भट्टे की क्षमता के अनुसार भुगतान करना पड़ता है। दरों पर ईटों की बिक्री पर बिक्री कर के बदले एकमुश्त कर, जैसा कि नियम की तालिका में दिखाया गया है। तालिका के नीचे नियम में दो स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, जो प्रक्रिया आदि को विस्तृत करते हैं।

(9) नियम 39-ए के बारे में राज्य द्वारा लिया गया पहला रुख यह है कि हरियाणा ईट-भट्टा मालिक संघ के अध्यक्ष ने राज्य सरकार से अधिनियम की धारा 26 के तहत कर के बदले एकमुश्त भुगतान के लिए नियम बनाने का अनुरोध किया और उस आधार

M/s Balwant Rai Kaushal v. State of Haryana and another 367  
(G. C. Mital, J.)

पर 1 अप्रैल, 1988 से 31 मार्च, 1990 तक दो साल की अवधि के लिए मसौदा नियम बनाए गए और इन्हें संघ द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, नियम प्रकाशित किए गए। इस आधार पर यह आग्रह किया जाता है कि प्रत्येक ईट भट्टे के मालिक को एकमुश्त कर का भुगतान करना होगा और ऐसे प्रत्येक विक्रेता द्वारा विकल्प का प्रश्न कानून में आवश्यक नहीं है। दूसरा तर्क यह था कि निर्धारिती सहित ईट-भट्टे के मालिकों ने अधिनियम के तहत देय बिक्री कर के बदले में एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुना, और इस प्रकार अधिसूचना को चुनौती देने में अपने स्वयं के आचरण से वंचित हैं। निर्धारिती के संबंध में यह आरोप लगाया जाता है कि उसने विकल्प चुना- संलग्नक आर 3 के माध्यम से और इस प्रकार अधिसूचना की वैधता को चुनौती देते हुए सामने खड़ा है।

(10) ऐसा हो सकता है कि ईट-भट्टे के मालिकों के संघ के अध्यक्ष ने राज्य सरकार से एकमुश्त भुगतान के लिए नियम बनाने का अनुरोध किया हो, लेकिन इस तरह के अनुरोध को प्रत्येक निर्धारिती के विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त भुगतान का प्रावधान करने के बाद प्रत्येक विक्रेता के लिए इसे चुनने का विकल्प खुला रहेगा और यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न होगा और हम इस प्रश्न में जाने से इनकार करते हैं और अधिनियम के तहत मूल्यांकनकर्ता और अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा इस पर विचार करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। यहाँ, हम केवल इस प्रश्न से चिंतित हैं कि क्या नियमों का नियम 39-ए अधिनियम की धारा 26 के प्रावधान से परे जाता है और यदि ऐसा होता है, तो नियमों के नियम 39-ए के प्रावधान को किस हद तक निरस्त किया जाना चाहिए यदि इसे अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों के अधीन लाने के लिए उचित तरीके से नहीं समझा जा सकता है।

(11) इस मामले पर विचार करने पर, हमारा विचार है कि नियमों का नियम 39-ए अधिनियम की धारा 6 के दायरे से परे है, अधिनियम की धारा 6 वह प्रभार धारा है जिसके तहत बिक्री कर का भुगतान कारोबार के आधार पर किया जाता है यदि यह कर से अधिक है। अधिनियम की धारा 26 के तहत राज्य सरकार को निर्धारिती के विकल्प पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान करने की शक्ति सौंपी गई है। अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों को धारा 6 में निहित नियम बनाने की शक्ति के साथ पढ़ा जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि एक ईट-भट्टे के व्यापारी पर एकमुश्त कर का भुगतान करना स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 6 के साथ-साथ धारा 26 के दायरे से बाहर है। अगर हमें राज्य सरकार की ओर से तर्क को प्रतिग्रहण करना था, तो दो आरोप लगाने के प्रावधान हैं। एक धारा 6 में और दूसरा नियमों का नियम 39-ए है। यह एक निर्धारिती का विकल्प होगा कि वह धारा 6 या नियम 39-ए द्वारा शासित हो और नियम 39-ए को एक अनिच्छुक निर्धारिती पर लागू नहीं किया जा सकता है यदि वह अधिनियम की धारा 6 द्वारा शासित होना चाहता है।

(12) इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि धारा 26 को कुछ निर्धारिती के लाभ के लिए अधिनियमित किया गया था, लेकिन यह केवल तभी लागू होगा जब कोई निर्धारिती धारा 26 के अनुसार बनाए गए नियमों द्वारा शासित होने का विकल्प चुनता है। धारा 26 के संदर्भ में यह प्रावधान है कि यह निर्धारिती का विकल्प होगा और इसलिए नियम 39-ए जो धारा 26 के अनुसार बनाया गया है, यदि यह धारा 26 से परे जाता है तो यह धारा के प्रावधानों के अधिकार अधिकारातीत होगा।

(13) यदि हम धारा 26 और नियम 39-ए का यथोचित अर्थ लगाते हैं तो यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि नियम 39-ए, धारा 26 के प्रावधानों के अधीन है। इस मामले पर विचार करने पर हमारा मानना है कि नियम 39-ए धारा 26 के प्रावधानों के अधीन है और नियम 39-ए उन करदाताओं पर लागू होगा जो अधिनियम की धारा 6



के तहत कर का भुगतान करने के बजाय एकमुश्त कर का भुगतान करने का विकल्प देते हैं। नियम 39-ए द्वारा शासित होने का विकल्प चुनने वालों को तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार ईट-भट्टे की क्षमता के अनुसार ईंटों की बिक्री पर बिक्री कर के बदले एकमुश्त राशि का भुगतान करना होगा और नियम 39-ए में निहित अन्य प्रक्रियाओं और मामलों का पालन करना होगा। यदि नियम 39-ए द्वारा अन्यथा कवर किया गया कोई व्यापारी उस नियम द्वारा शासित होने का विकल्प नहीं चुनता है तो वह अधिनियम की धारा 6 द्वारा शासित होगा।

(14) कानून के उपरोक्त कथन को देखते हुए, मूल्यांकन आदेश (अनुलग्नक पी/2) कायम नहीं रह सकता है और इसके द्वारा मूल्यांकन प्राधिकरण को एक नया मूल्यांकन तैयार करने के निर्देश के साथ रद्द कर दिया जाता है और ऐसा करते समय यह ध्यान में रखा जाएगा कि क्या निर्धारिती ने नियम 39-ए द्वारा शासित होने का विकल्प चुना है। इस मामले में वह प्रत्येक मामले की सराहना करके और इस व्यवहार में तथ्य का निष्कर्ष देकर निर्णय लेगा। जहाँ भी वह इन तथ्यों पर निष्कर्ष पर पहुँचता है कि एक निर्धारिती नियम 39-ए द्वारा शासित होने का विकल्प नहीं चुनता है, वह अन्य प्रावधानों के साथ अधिनियम की धारा 6 के तहत तैयार करने के लिए आगे बढ़ेगा। उन मामलों में जहाँ मूल्यांकन आदेश रद्द कर दिया जाता है।

(15) हमारे सामने कुछ मामलों में निर्धारिती कारण दर्शाओ नोटिस के स्तर पर आये हैं, यानी मूल्यांकन तैयार होने से पहले। प्रत्येक निर्धारिती कारण दर्शाओ नोटिस के जवाब में अपना रुख अपनाएगा और मूल्यांकन प्राधिकरण इस निर्णय में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन तैयार करेगा।

(16) ऊपर बताए गए कारणों से 1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 5190 ऑफ़ 1989, 818, 2509, 2510, 3197, 4510, 5260 से 5264, 6006, 6302, 7467, 7932, 8163, 8418, 9297, 10587 और 11584 ऑफ़ 1990 का निपटान लागत के रूप में बिना किसी आदेश के किया गया है।

*अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

*(Trainee Judicial Officer)*

फ़रीदाबाद, हरियाणा